लोक सभा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के चिंतन शिविर में माननीय अध्यक्ष का संबोधन

मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, एवं बधाई देता हूँ कि मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में इन 4 वर्षों के अंदर आपके सामूहिक प्रयासों से संसद की नई कार्य संस्कृति में और संसद के कार्य संचालन में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संसद सदस्यों के सहयोग से आपके द्वारा उनके कार्यों के अंदर निरंतर सहयोग करने के कारण संसद की कार्य उत्पादकता भी बढ़ी, लंबी डिबेट हुई, चर्चा हुई। इन 4 वर्षों के अंदर सबसे अधिक विधेयक पारित हुए और सभी माननीय संसद सदस्यों का सक्रिय योगदान रहा। उन सब में संसद सदस्यों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना, उनकी कार्य उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग करना और उनके व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में जो चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको कम करने के लिए प्रयास करना और उसके साथ विशेष रूप से नई टैक्नोलॉजी का प्रयोग कर के हमने संसद को डिजिटल करने का काम तो किया ही है, लेकिन साथ-साथ उनकी कार्य उत्पादकता, टैक्नोलॉजी के उपयोग के कारण, उनको त्वरित सेवाएं देना, इसमें विशेष रूप से एक बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन आया है। लेकिन मुझे खुशी है कि इतनी सालों की सेवाओं के बाद भी इस चिंतन शिविर के अंदर आपने जो 10 ग्रुप बनाए थे, उनके अंदर आपने व्यापक चिंतन किया, विस्तृत चिंतन किया। आपस में अपने अनुभव साझा किए और विशेष रूप से अनुभव साझा करते हुए एक बदलाव की नई दिशा तय की। मन में एक नया विचार आया, नए चिंतन आए, नई दिशा आई कि किस तरीके से हम अपनी फंग्शनिंग और वर्किंग के अंदर बहुत बड़ा बदलाव अभी भी ला सकते हैं। कई बार कई सरकारी अधिकारियों में, कर्मचारियों में ठहराव की सी स्थिति हो जाती है। अपने वर्किंग सिस्टम में परिवर्तन करने की कोई जिज्ञासा नहीं होती है। लेकिन व्यक्ति अगर जीवन के अदंर हमेशा कुछ सीखने, सिखाने, कुछ अनुभवों को प्राप्त करने, ज्ञान को हमेशा अधूरा समझ कर उसकी ज्ञान की जिज्ञासा प्राप्त कर के और ज्ञान को बढ़ाए, अपने जीवन के अनुभवों और प्रैक्टिसों को और बेहतर करन के लिए अगर सामूहिक बैठ कर चिंतन करने के बाद भी सोचता है कि हमें और बदलाव करना है तो यह इस संसद सचिवालय के लिए एक नई दिशा है।

मुझे आशा है कि इन चारों वर्षों के अंदर, मैंने जो भी अनुभव किया, मैंने कई बार अलग-अलग विभाग वाइज भी लंबा रिव्यू किया और चर्चा की। उसमें से जो निकल कर आ सकता था, उस पर भी मैंने चर्चा की। इस चिंतन शिविर में आपके अलग-अलग ग्रुप का मैंने जो प्रेजेंटेशन देखा और उसमें आपके बहुत अच्छे सुझाव आए, बदलाव की नई सोच आई और नया चिंतन आया। इस बात का कमिटमेंट भी आया कि यह बदलाव हमें करना है और इस बदलाव को करना ही हमारा लक्ष्य है। इससे हमारे वर्क की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। हमारा जो लक्ष्य है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारा जीवंत लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र को सार्थक बनाना है, प्रभावी बनाना है, जनता के प्रति जवाबदेही संस्थाओं को बनाना है तो इस संस्था के कर्मचारियों को भी इसी सोच और चिंतन के माध्यम से काम करने की आवश्यकता है। सरकारी कर्मचारियों से हमारी दिशा अलग है, हम लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था के कर्मचारी हैं। हमारी कार्यप्रणाली और टेक्नोलॉजी से लेकर जीवन के हर विषय के अंदर उन सब सरकारी कर्मचारियों से विशिष्ठ होना चाहिए। अपनी एक अलग तरह की कार्यशैली और संस्कृति नजर आनी चाहिए। मुझसे

सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं, इस लक्ष्य के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कई सालों से लोक सभा सचिवालय इसी कार्य संस्कृति की ओर काम कर रहा है।

बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर नदी में पानी ठहर जाएगा तो वह गंदा हो जाएगा। जब वह बहता रहेगा तो साफ-सुथरा रहेगा। अगर हमें निर्मल और स्वच्छ नदी बनाना है, हमेशा कार्य स्तर पर नई संस्कृति लानी है तो निश्चित रूप से बदलाव लाना हमारा नैतिक धर्म है। मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने इस चिंतन शिविर में अलग-अलग ग्रुप में बहुत विषयों पर चिंतन किया। आपने अपने कार्यों के अनुभव को साझा किया। उसके साथ-साथ अपने नए लक्ष्यों को भी तय किया। उसमें नि:संकोच होकर आपने अपनी कमियों को भी ग्रुप में चर्चा की कि हमें अपनी कार्य संस्कृति में क्या बदलाव लाना है, किस तरीके से अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाना है, ताकि खुद के व्यक्तिव का विकास भी हो और संस्था में भी नया परिवर्तन हो। इसलिए, आपने अपना आत्म निरीक्षण किया, अपने कार्यक्रम में सुधार के लिए चिंता व्यक्त की। आपने एक प्रभावी और सार्थक कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया तय की। इस चिंतन शिविर के अंदर जो विषय भी आए हैं, उन विषयों पर मैं आपसे एक महीने बाद चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सुझाव हैं। मेरे भी कुछ सुझाव और अनुभव हैं, लेकिन मेरे सुझाव ही अंतिम नहीं है।

लोक सभा के अध्यक्षपीठ पर मेरा निर्णय अंतिम हो सकता है, लेकिन चिंतन शिविर में मेरा निर्णय अंतिम नहीं है। आपका अनुभव, आपके विचार, लोक सभा सचिवालय में काम करते हुए जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ अनुभव प्राप्त किया, वह आपका बहुत ज्यादा है। मेरा मानना है कि जब मैं संसद सदस्य बनकर आया था तो मैंने यहां के कर्मचारियों और अधिकारियों के व्यवहार को देखा, डिसिप्लिन को देखा। किस तरीके से एक नये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जहां उसकी आवश्यकता होती है, वहां समय-समय पर उसको मार्गदर्शन भी दिया और उसको सहयोग भी किया। बेस्ट प्रैक्टिसेज़ इस पार्लियामेंट की रही है जो ऐज ए न्यू पार्लियामेंट मेंबर मैंने खुद से अनुभव किया। मैं विधान सभा में भी रहा हूं। विधान सभा के कार्यक्रम को भी मैंने देखा है, लोक सभा के कार्यक्रम को भी देखा है और जो कुछ भी ऐज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने अनुभव किया था, उसको परिवर्तन करने का प्रयास किया। कुछ परिवर्तन हुए, लेकिन परिवर्तन तो लगातार सृष्टि का नियम है। जब हम लोकतांत्रिक संस्था के अंदर बैठे हैं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर चर्चा, संवाद, सहमति, असमति, विचारों का मंथन, नये चिंतन का मंथन और उससे जो मंथन निकलता है, उसके अमृत से कल्याण, यह तो हमारी संस्था की विशेषता है। हमारी संस्था में विशेषता हो और हमारी संस्था के सचिवालय की विशेषता नहीं हो कि हमेशा हमारा भी नया चिंतन चलता रहे, चर्चा, संवाद चलते रहें, अनुभव चलते रहें, बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को अपनाते रहें और देश और दुनिया के अंदर जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थायें हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिस से अनुभव प्राप्त करना और दुनिया में भारत की संसद और उसके सचिवालय की बेस्ट प्रैक्टिस है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमारी प्राइड संस्था, हमारी प्रशिक्षण संस्था दुनिया की बेस्ट है। हमारा प्रोटोकॉल डिवीजन दुनिया की सभी संस्थाओं से बेस्ट है। हमारा संसद सदस्यों से संवाद, चर्चा बेहतरीन है। इसी तरीके से संसद की आंतरिक संरचना, जिस विषय पर आपने अलग-अलग विचार रखे हैं, मेरा दृष्टिकोण इस पर बहुत सारा है। इवेंट और प्रोटोकॉल प्रबंध एक अच्छा विचार आया, लेकिन मैं कहता हूं

कि इवेंट और प्रोटोकाल हमारे कई अलग-अलग डिवीजन में बटे हैं। उस अलग-अलग डिवीजन की जगह प्रोटोकॉल डिवीजन एक होना चाहिए। यह सुझाव अच्छा है। कांफ्रेंस ब्रांच का अलग है, मेंबर्स सर्विस का अलग है, पीपीआर का अलग है, एक सुझाव आया कि हमारा प्रोटोकॉल डिवीजन एक होना चाहिए, जिसका काम प्रोटोकॉल करना है, इवेंट मैनेजमेंट करना है। मैंने कई बार सेक्रेटरी जनरल से कहा कि एक इवेंट हो, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट कौन सा होगा, राष्ट्रीय इवेंट कौन सा होगा या राज्यों की विधान सभाओं या अन्य में इवेंट का एक अलग प्रोटोकॉल हो जाए, तो हम सोच सकते हैं कि यह विचार ठीक है। पूरे सिस्टम को एक साथ कई बार हमारे सरकारी सिस्टम की तरह नहीं होना चाहिए कि एक सचिवालय में बैठने के बाद भी एक काम के निस्तारण के लिए फाइलें महीने भर तक घूमना, इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। जिस काम को सेम डे करना है, तुरंत बुलाया, चर्चा की, संवाद किया और निस्तारण कर दिया। इसी के साथ-साथ बजट और बजट प्रबंध अच्छा विचार है। हमें पांच साल के बजट के पिछले अनुमानों को देखना चाहिए और नये बजट की प्लानिंग करते समय आगे भविष्य के पांच साल के बजट की प्लानिंग करनी चाहिए। इसमें से कुछ इमरजेंसी सिस्टम होता है, जिसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेजर पार्ट परमानेंट रहता है।

सैलरी और एलाउन्सेंज का पार्ट परमानेंट रहता है जब तक कोई नया परिवर्तन न हो। बजट प्रबंधन बेहतरीन होना चाहिए। बजट की कार्यकुशलता यह है कि कार्यक्रम अधिक और धन की बचत होनी चाहिए। इसके लिए बहुत चर्चा करने की आवश्यकता है। बजट अनुमानों को देखना चाहिए कि धन का अपव्यय तो नहीं हो रहा है। हम जितना धन की बचत कर पाएंगे और कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे, लोकतांत्रिक संस्थाएं ऐसा ही संदेश देश के अन्य विभागों, सरकारी कर्मचारियों और सिस्टम को दे पाएं, क्योंकि बजट पास करना संसद की जिम्मेदारी है। हमारा बजट प्रबंधन सर्वश्रेष्ठ होना ही चाहिए तभी बजट पास करने की संस्था के रूप में स्थापित हो पाएगा, इसीलिए हमने सबसे पहले हमने अपनी संस्था का बजट प्रबंधन सबसे बेहतरीन किया।

एक विचार आया कि तकनीक का उपयोग करके गुणवत्ता बढ़ायी जाए, यह एक लंबा विषय है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, हमें भी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से गुणवत्ता में काफी परिवर्तन आ सकता है, पारदर्शिता आ सकती है। जितना मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, उतनी ही संस्था में बेहतर कार्यकरण होगा। इस दिशा में माननीय संसद सदस्यों के लिए सिंगल विंडो किया गया है। जब एक नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है, उसको पांच साल तक पता ही नहीं चलता है कि पार्लियामेंट में क्या-क्या सिस्टम है? पांच साल तक उसको कभी भी जीवन में कोई काम पड़ जाए, हेल्थ का सिस्टम क्या है, लाइट बंद हो जाए तो क्या करना है, संसद से क्या-क्या सहयोग मिलता है, इतना बड़ा मेंबर्स सर्विस ब्रांच होती है।

कई सालों तक उसको समझने में लग जाता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक साल से इतनी तैयारी करें, जब संसद का नया सत्र हो तो सत्र के सप्ताह भर के अंदर सदस्य को संपूर्ण जानकारी संसद की होनी

चाहिए। संसद के अलावा संसद से जुड़े हुए कार्यकरण की संपूर्ण जानकारी हो, इसकी बेहतर व्यवस्था हमें अभी से ही करनी चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम होनी चाहिए।

मान लीजिए, अगर किसी को चुनाव लड़ने जाना है तो सिंगल विंडो सिस्टम में उसको एनओसी मिल जाए, उसके लिए हमने ऑनलाइन एनओसी सिस्टम लागू किया है। उसको किसी भी विभाग के अंदर न जाना पड़े, सिंगल विंडो सिस्टम में अप्लाई करे और हम सभी विभागों से एनओसी लेकर उसको उसी दिन दे दें।

सचिवालय के ब्रांचों की क्षमता बढ़ाना और सामंजस्य बढ़ाना, इस बारे में कई बार चर्चा हुई है। आगे भी मुझे आशा है कि हमारा समन्वय लगातार ब्रांचों से होता रहेगा, इसके लिए लगातार महासचिव महोदय मीटिंग करते रहते हैं। चिंतन शिविर में जो विषय आए हैं, उन विषयों के अलावा और भी विषय आएंगे। आपने जो भी सुझाव रखे हैं, एक महीने में सेक्रेटरी जनरल उस पर क्या-क्या एजुकेशन हो सकता है, कितनी जल्दी एजुकेशन हो सकता है, क्या-क्या नया परिवर्तन हो सकता है, इस पर भी काम करेंगे।

इसके साथ-साथ कैपिसिटी बिल्डिंग, कई सारे मंत्रालयों से समन्वय ठीक करें। संसद के अंदर अगर सूचना ही नहीं आएगा तो यह चिंता का विषय है, सूचना का त्वरित गति से आना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सूचना उपलब्ध कराना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। इसको हम बेहतर करेंगे, नवाचार और प्रचलित पद्धतियों के विषय में भी विचार आया, नैतिकता और कार्य आचरण के बारे आपने बहुत अच्छा चिंतन शिविर किया है।

मुझे आशा है कि हम एक टीम वर्क के रूप में काम करके कार्यकुशलता को बढ़ाएंगे, सिस्टम को और बेहतरीन करेंगे। जिन विषयों पर चर्चा, संवाद, अनुभव और बैस्ट प्रेक्टिस के बारे में विचार आएं, हम उन विचारों को प्राप्त करने का प्रयास करें। एक्सपर्ट लोगों से बात करेंगे। एक महीने में क्या एग्जीक्यूशन हो सकता है, क्या टाइमलाइन होगी, परिवर्तन कितने दिन में होना चाहिए, इसके लिए समयबद्ध तरीके से काम करना होगा, हमें निश्चित समय के अंदर परिणाम लाना है। यह इस सचिवालय की विशेषता होनी चाहिए। हमें त्वरित निर्णय करना होगा। अगर निर्णय में एक दिन या एक घंटे भी देरी हो तो उसका विश्लेषण करना कि आखिर इस निर्णय में इतनी देरी क्यों हुई? अलग-अलग ब्रांच के सब लोग बैठकर चर्चा करें, हमारा तो एक ही कैम्पस है, हमें किसी से, अन्य राज्य सरकारों से तालमेल बिठाने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसी एक कैम्पस में परिवर्तन करना है, हमें दूर नहीं जाना है, किसी से सूचना नहीं मांगनी है, योजनाओं का एग्जीक्यूशन नहीं करना, हमें तो हमारे कार्यकरण में ही शिष्टता लानी है, बैस्ट प्रेक्टिस लानी है, इसके लिए संसद है, सचिवालय है। माननीय सांसद महोदय को हम किस तरीके से सचिवालय के माध्यम से कार्य उत्पादकता में, कार्यकरण में, जनता के संवाद में हैल्प करें, इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशंन हो सकता है? यह हमारा काम है। बेसिक रूप से हमारा उत्तरादायित्व माननीय सांसदों के प्रति है ताकि वे जनता की ठीक से सेवा कर सकें और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्यपालिका की जवाबदेही कर सकें, उसमें पारदर्शिता ला सकें, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में जनता से सार्थक रूप से संवाद कर सके और

संसद के अंदर जो बातें कही हैं, चर्चाएं की हैं, उसे जनता तक पहुंचाना और हमारा सहयोग करना, जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उनके समाधान के लिए सहयोग करना, हमारे सचिवालय का काम है।

यह सही कहा गया है कि कमेटी सिस्टम के अंदर जो परिवर्तन हुए, उसके बहुत अच्छे सुझाव आए हैं कि संसदीय समितियां जाती हैं, स्कूल-कॉलेज जनता तक संसद की पहुंच होती है। हमारे कार्यक्रम का हर विषय जनता तक जाना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि आम जनता को संसद की गतिविधियों की जानकारी नहीं है। हमारी पहुंच जनता तक कैसे पहुंचे, हमने क्या-क्या परिवर्तन संसद में किए हैं। इन चार सालों में जो परिवर्तन किए हैं, लगातार माननीय संसद-सदस्यों को पता हो, देश के जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको पता हो, आम जनता को हमारे परिवर्तन की जानकारी, हमारे सचिवालय के इतने अधिकारी, कर्मचारी लगातार देते रहें। हमने जो बेहतर काम किया है, बेहतर कार्यकरण किया है, उसकी जानकारी अगर संसद-सदस्यों को नहीं है। हमने डिजिटल संसद किया, लाइब्रेरी में परिवर्तन किया, प्राइड में किया, संसदीय समितियों में किया, रिसर्च पेपर देने का काम किया। उन्होंने सही कहा कि बुलेटिन-2 के अंदर एक विषय है, लेकिन बुलेटिन-2 के अलावा एक एप बनना चाहिए। इस एप में तमाम जानकारी मिलती रहे और वह अपडेट रहे। हमारी सूचना का सिस्टम त्वरित गति का हो। अगर हमारे यहां का सिस्टम ही त्वरित गति का नहीं होगा तो हम कैसे देश में बदलाव ला पाएंगे?

हमें इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि यह चिंतन शिविर बहुत सफल रहेगा। लेकिन, चिंतन शिविर के परिणाम हमारी प्रैक्टिस के अदर भी आना चाहिए। हमने जो चिंतन किया है, अनुभव किया है और विचारों को साझा किया है, उसके अच्छे परिणाम आए, इसके लिए सेक्रेटरी जनरल एक महीने के अंदर रिव्यु करें। मैं तीन महीने बाद आप लोगों से दोबारा चर्चा करूंगा। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि बेस्ट प्रैक्टिसेज के रूप में हमारा सचिवालय दुनिया का सबसे बढ़िया सचिवालय बने। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।